

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:- प.1(1)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 08.07.2021

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 सपठित धारा 12 एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करते हुए पीठासीन अधिकारी के पदस्थापन की तिथि से स्थापित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का पूर्व नाम	क्रमोन्नत न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4	5
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	टोंक	टोडारायसिंह

राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/09/21/ 1425

Date: 08/07/2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. The District & Sessions Judge, Tonk.
3. The Chief Judicial Magistrate, Tonk.
4. Concerned Court.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)